पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़
पीठासीनअधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

करण संख्या —46 / 2025

नवान :

1.अजय कुमार पुत्र कृष्ण कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2.मनोज कुमार पुत्र कृष्ण कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

कृष्ण पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः—1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग :—वादीगण

2 अधिवक्ता श्री करनैलसिह :—प्रतिवादी

डिक्री दिनांक 21/2/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादी अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक भुरानपुरा बारानी के खाता सं0 60 / 59 में कुल 4.350 है0 आराजी में प्रतिवादी कृष्ण के 1 / 2 हिस्सा की आराजी मे से वादीगण प्रत्येक को 1 / 3--1 / 3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक भुरानपुरा बारानी के खाता सं0 60 / 59 मे से प्रतिवादी कृष्ण का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण,R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी